

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(पन्द्रहवां सत्र)

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

बुधवार, 10 अगस्त, 2022/19 श्रावण, 1944 (शक्)

[मुख्य मंत्री - जल शक्ति मंत्री - शहरी विकास मंत्री - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री - तकनीकी शिक्षा मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - उद्योग मंत्री - शिक्षा मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री - वन मंत्री तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री].

कुल प्रश्न - 4

मुख्य मंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना

*4581 श्री आशीष बुटेल (पालमपुर):

क्या शहरी विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक मुख्य मंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया व कितने कार्य दिवस सुनिश्चित किए गए; सूचना शहरी इकाईवार दें;

(ख) दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक इनमें से कितने कार्य दिवसों का भुगतान हुआ; इकाईवार ब्यौरा दें; और

(ग) इस अवधि में इकाईयों को कितना धन मुख्य मंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत उपलब्ध करवाया गया है; इकाईवार ब्यौरा दें?

करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां

*4641 श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा):

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा जिला के विभिन्न विभागों में

करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान करने हेतु कितने मामले लंबित हैं तथा इन्हें कब तक नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी?

श्रमिकों को भुगतान

*4668 श्री रमेश चंद धवाला (ज्वालामुखी):

क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों को कई महीनों से वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो इन श्रमिकों को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा; धनराशिवार व श्रमिकों की संख्या का जिलावार विवरण दें?

करुणामूलक आधार पर नौकरी

*4706 श्री विनय कुमार (श्री रेणुकाजी) :

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) :

श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) :

श्री संजय अवस्थी (अर्की) :

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक करुणामूलक आधार पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कितने आश्रितों को नियुक्तियां प्रदान की गईं व कितने मामले लंबित हैं तथा शेष आश्रितों को सरकार कब तक नियुक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है; विभागवार, बोर्डों व निगमों सहित ब्यौरा दें; और

(ख) सरकार करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों हेतु आय-सीमा बढ़ाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?

यशपाल शर्मा,

सचिव।